स0स0-7/एम0सी0ए0-35-29/2021- 475(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा- वित्त विभाग।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक-05/03/2025

विषयः- **इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान-वेतन की राशि रु० 4,50,00,00,000/-(रुपये चार अरब पचास करोड़) में से तृतीय किस्त के रूप में व्यय हेतु रु0 1,57,50,00,000/- (रुपये एक अरब सन्तावन करोड़ पचास लाख) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य मे अतिविशिष्ट विषयो मे उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत शिक्षा के विकास करने एव चिकित्सा शास्त्र विषयो के क्षेत्र मे सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम सख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान मे सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान मे मेडिकल एव नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमे पढाई भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही, यहॉ स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है और इन सभी मे कई चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। पूर्व वर्षो की भॉति इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 मे रु० 4,50,00,00,000/-(रुपये चार अरब पचास करोड) मे से प्रथम किस्त के रूप मे व्यय हेतु रु० 1,48,50,00,000/- (रुपये एक अरब अडतालिस करोड पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत विभागीय राज्यादेश सख्या 86(7), दिनाक-02.07.2024 द्वारा प्रदान की गयी थी। संस्थान को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 मे द्वितीय किस्त के रूप मे रु० 1,44,00,00,000/- (रुपये एक अरब चौवालिस करोड) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या 239(7), दिनांक 30.10.2024 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुन संस्थान को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 मे तृतीय किस्त के रूप मे व्यय हेतु रु० 1,57,50,00,000/- (रुपये एक अरब सन्तावन करोड पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या 2561/वि0(2), दिनाक 17.04.1998, 2880/वि0(2),दिनांक 06.05.2006, 2938/वि0(2),दिनांक 08.04.2008, 3758/वि0, दिनाक 31.05.2017, 4443/वि0, दिनांक-14.06.2018 एव 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मॉग सख्या 20, मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 0017 इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड 20 2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017 31 04 सहायक अनुदान वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 मे उपबंधित राशि से किया जायेगा।

क्रमश

(4) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(5) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA003 विपत्र कोड 00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-11798 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) राज्यादेश में वित्त विभाग की सशर्त सहमति निम्नरूपेण प्राप्त है-

(i) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार, पटना से करा लिया गया हो।

(ii) इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ~~शेखपुरा, पटना~~ के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि के भुगतान पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

(7) राज्यादेश में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(9) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—7/एम0सी0एच0-35-29/2021- 475(7)/स्वा0, पटना, दिनांक—05/03/2025

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी—7 एवं सबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव